ई मेल

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

कमांक :– एफ 5(12–10)प्राशिमं / सामान्य / 2011–12 / 5915 दिनांक 5/11/14

प्रधानाचार्य,

समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय / निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय।

विषय :– पाँच गुना परीक्षा शुल्क के संबंध में।

मण्डल के पत्रांक एफ 5(12.1)प्राशिमं / सामान्य / 89 / 7107–49, 7150–71 दिनांक 29.9.2008 द्वारा जारी पाँच गुना परीक्षा शुल्क की दर सूची के साथ संलग्न पाँच गुना परीक्षा शुल्क मण्डल में जमा करवाने हेतु दिशा–निर्देश के नियमित विद्यार्थी के बिन्दू संख्या 06 एवं बाह्य विद्यार्थी के बिन्दू संख्या 02 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

" विद्यार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग 30 दिवस पूर्व तक व्यक्तिगत रूप से मण्डल में उपस्थित होकर पाँच गुना शुल्क जमा करवायेंगें। इसके पश्चात् आने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन फार्म मण्डल द्वारा स्वीकार्य नहीं होंगें।"

नोट :– "पाँच गुना शुल्क मण्डल में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाने की अंतिम तिथि मण्डल द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर में अंकित की जायेगी एवं यही तिथि अंतिम रूप से मान्य होगी।"

संलग्न :– पाँच गुना परीक्षा शुल्क मण्डल में जमा करवाने हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

5/11/14

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

कमांक :– एफ 5(12–10)प्राशिमं / सामान्य / 2011–12 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. संयुक्त निदेशक (ई–2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।
2. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (सी0डी0सी0), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. कार्यालयध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. प्रभारी, गोपनीय / परीक्षा / पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ / लेखा / भण्डार / खजांची, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

C:\GENERAL\General\F 5 (12-10) Exam. Fee.doc

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

पाँच गुना परीक्षा शुल्क मण्डल में जमा करवाने हेतु संशोधित दिशा–निर्देश

ऐसे नियमित एवं बाह्य विद्यार्थी जो मण्डल द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म जमा करवाये जाने कि लिये निर्धारित की गई तिथि तक कतिपय कारणों से परीक्षा फार्म जमा करवाने में असमर्थ रहते हैं वे, अपना परीक्षा आवेदन फार्म पाँच गुना परीक्षा शुल्क क साथ निम्न निर्देशानुसार जमा करवा सकते हैं :–

नियमित विद्यार्थी

1. विद्यार्थी पूर्ण भरा हुआ परीक्षा आवेदन फार्म प्रधानाचार्य के माध्यम से भेजेंगें।
2. विद्यार्थी परीक्षा आवेदन फार्म के साथ प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत करेंगें जिसमें परीक्षा फार्म जमा करवाने में रही असमर्थता का कारण स्पष्ट करेंगें।
3. विद्यार्थी परीक्षा आवेदन फार्म के साथ 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि सत्रांत तक उसकी उपस्थिति मण्डल के नियमों के अनुरूप पूर्ण नहीं होती है तो उसे मण्डल की परीक्षा में बैठने से रोक दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. प्रधानाचार्य, विद्यार्थियों के पूर्ण भरे हुए आवेदन फार्म की जाँच करवाकर सही पाये जाने पर मण्डल को अग्रेषित करेंगें।
5. प्रधानाचार्य विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन फार्म के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित करेंगें कि विद्यार्थी निरन्तर कक्षाओं में आ रहा है एवं सत्रांत तक उसकी उपस्थिति मण्डल के नियमानुसार पूर्ण हो सकती है एवं विद्यार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म जमा करवाने में असमर्थ रहने का जो कारण बताया गया है वह प्रमाणिक है।
6. विद्यार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग 30 दिवस पूर्व तक व्यक्तिगत रूप से मण्डल में उपस्थित होकर पाँच गुना शुल्क जमा करवायेंगें। इसके पश्चात् आने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन फार्म मण्डल द्वारा स्वीकार्य नहीं होंगें।

नोट :– "पाँच गुना शुल्क मण्डल में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाने की अंतिम तिथि मण्डल द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर में अंकित की जायेगी एवं यही तिथि अंतिम रूप से मान्य होगी।"

बाह्य विद्यार्थी

1. विद्यार्थी पूर्ण भरा हुआ परीक्षा आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के माध्यम से भेजेंगें।
2. विद्यार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग 30 दिवस पूर्व तक व्यक्तिगत रूप से मण्डल में उपस्थित होकर पाँच गुना शुल्क जमा करवायेंगें। इसके पश्चात् आने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन फार्म मण्डल द्वारा स्वीकार्य नहीं होंगें।

नोट :– "पाँच गुना शुल्क मण्डल में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाने की अंतिम तिथि मण्डल द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर में अंकित की जायेगी एवं यही तिथि अंतिम रूप से मान्य होगी।"

3. इन विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

प्रधानाचार्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकार्ड एवं मण्डल के नियमों का अवलोकन करने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन फार्म अग्रेषित करें। नियमों के विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण परीक्षा आवेदन पत्रों के कारण उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

--*-*-*-*-*-*

C:\GENERAL\General\F 5 (12-10) Exam. Fee.doc